निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 103/2016
वायरा दिनांकः—29.08.2016
निर्णय दिनांकः—30.6.25

उनवान

1. चम्पाबाई आयु 60 वर्ष पुत्री सेवा जाति मेघवाल निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा हाल निवासी मुसई गुजरान तहसील अटरू
2. मोहनी बाई आयु 58 वर्ष पुत्री सेवा जाति मेघवाल निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा हाल निवासी बोकडा तहसील अटरू जिला बारां

बनाम

1. घनश्याम आयु 48 वर्ष पुत्र भेरिया
2. राधेश्याम आयु 45 वर्ष पुत्र भेरिया
3. प्रेमनारायण आयु 40 वर्ष पुत्र भेरिया
4. हीराबाई पत्नि भेरिया जातियान मेघवाल निवासीगण शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—30.6.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया— प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 (2) आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 142/535 रकबा 10 बिश्वा, खसरा नंबर 263 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 264 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 267 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबड़ा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा स्थित है। उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण स्वयं कब्जा काश्त करते हुए ही अपने भाई भेरिया को ही पांती से प्रतिवर्ष जुपाती रहती थी और इस वर्ष भी पांती से जुपाई थी। भेरिया का स्वर्गवास एक माह पूर्व हो चुका है। भेरिया के अप्रार्थीगण कायम गुकामान है। भेरिया के मरने के बाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कब्जा काश्त करने से मना कर दिया और समस्त भूमि पर कब्जा काश्त करने की धमकी दी। उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण स्वयं कब्जा काश्त करते हुए ही अपने भाई भेरिया को ही पांती से प्रतिवर्ष जुपाती रहती थी और इस वर्ष भी पांती से जुपाई थी। भेरिया का स्वर्गवास एक माह पूर्व हो चुका है। भेरिया के अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

म गुकामान है। भेरिया के मरने के बाद अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कब्जा काश्त करने मना कर दिया और समस्त भूमि पर कब्जा काश्त करने की धमकी दी। प्रार्थीगण के पिता का दत्तक पुत्र व प्रार्थीगण का भाई होने के कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के पिता भेरिया पर विश्वास कर लिया और अप्रार्थीगण के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके उक्त विवादग्रस्त आराजी का इंतकाल नंबर 40 दिनांक 13.08.1963 अपने नाम खुलवा लिया। जबकि सेवा की वैध वारिस व उत्तराधिकारी व काबिज प्रार्थीगण थी। किंतु अप्रार्थीगण के पिता भेरिया ने प्रार्थीगण का नाम इंतकाल में दर्ज नहीं करवाया। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त के चलते अप्रार्थीगण के पिता मेरिया ने एक स्टाम्प 5/– रुपए पर ग्राम पंचायत सरपंच मूंडला व ग्रामवासियों ने राजीनामा करवा दिया कि भूमि खसरा नंबर 263 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि को प्रार्थीगण की मां केसरबाई को दी थी। मां के मरने के बाद 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का होगा। इस आशय का राजीनामा दिनांक 17.07.1999 को करवा दिया था। तब से ही प्रार्थीगण कब्जा काश्त करती चली आ रही थी और उक्त भूमि को पांती से भेरिया को ही जुपाती आ रही थी। किंतु अप्रार्थीगण के पिता भेरिया के मरने के बाद अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर कब्जा कात करने से मना कर दिया और इंतकाल भी अपने नाम खुलवाने की धमकी दी। उक्त इंतकाल नंबर 40 में प्रार्थीगण वैध वारिस व उत्तराधिकारी होने से अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी थी। उक्त आशय का वाद एस०डी०ओ० कोर्ट छबड़ा में जेरकार है। जिसमें आगामी पेशी वास्ते जवाब हेतु दिनांक 21.09.2016 नियत है। उक्त प्रकरण में एस०डी०ओ० कोर्ट से स्टे होने के बाद भी हल्का पटवारी मोनिका नागर ने इंतकाल अप्रार्थीगण के नाम तस्दीक कर दिया। इंतकाल अप्रार्थीगण के नाम खुलने से खातेदारी में दर्ज हो गई। जो अप्रार्थीगण उक्त भूमि को अन्य को दान, रहन, बेचान करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थीगण ने उक्त विवादग्रस्त भूमि को अन्य को दान, रहन, बेचान कर दी तो प्रार्थीगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। लडाई–झगड़े की पूरी–पूरी संभावना है। इस परिस्थिति में उक्त विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर थानाधिकारी कवाई को नियुक्त किया जाना न्यायहित में है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल बन्दोवस्त सम्वत् 2012–31 नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 113 नकल नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 13.08.1993 नकल नामान्तरण संख्या 664 दिनांक 04.02.2016 नकल राजीनामा दिनांक 17.07.1999 नकल स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2016 पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल ग्राम शेखापुर सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 113 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71 नकल नक्शा ट्रेस नकल निर्णय दिनांक 21.09.2002 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बारां बउनवान केसरबाई बनाम भेरिया नकल निर्णय दिनांक 20.11.2017 न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा बउनवान घनश्याम बनाम चम्पाबाई नकल नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 13.08.1963 पेश किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ जवाब में बताया कि वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में खाता संख्या 113 की भूमि खसरा नम्बर 142/535 रकबा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 263 रकबा 10 बिघा 09 बिस्वा खसरा नम्बर 264 रकबा 11 बीघा 10

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

वा एवं खसरा नम्बर 267 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 25 बिघा 3 बिस्वा भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है। उक्त आराजी में अप्रार्थीगण के पिता/पति को जर्ये फोती इन्तकाल संख्या संख्या 40 दिनांक 13.08.1963 को वैधानिक रूप से खोला जाकर एवं विधिवत् जॉच करने के उपरान्त खातेदारी में दर्ज की गयी थी। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण एवं उनकी माता केसरबाई को प्रारंभ से ही थी। उक्त फोती इन्तकाल संख्या 40 अपील प्रार्थीगण एवं उनकी माता ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय बारां में प्रस्तुत की थी जिसे माननीय न्यायालय में दिनांक 21.09.2002 को अपील खारिज कर दी। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को भली–भांती है लेकिन समस्त तथ्यों को छिपातें हुए उक्त कार्यवाही एवं वाद प्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया है। गत 55 वर्षो में प्रार्थीगण एवं उनकी माता केसरबाई ने कोई कानुनी कार्यवाही खातेदारी की घोषणा ही नही की क्योकि प्रार्थीगण फोती इंतकाल से सहमत थी। प्रार्थीगण ने 5/– स्टाम्प पर कथित राजीनामा दिनांक 17.09.1999 का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र मे किया है वह बिल्कुल मिथ्या फर्जी एवं बनावटी है यदि ऐसा कथित कोई राजीनामा होता तो प्रार्थीगण एवं उनकी माता द्वारा सन् 2001 में माननीय ए. डी.एम साहब बारां में प्रस्तुत अपील इन्तकाल में पेश करती और अपीलही नही करके खातेदारी का वाद पेश करती। प्रार्थीगण ने भेरिया के जीवनकाल में वाद क्यो नही किया। प्रार्थीगण ने फर्जी व बनावटी लिखा पढी 5/– के स्टाम्प पर उक्त वाद प्रस्तुत करने की आड में भेरिया की मृत्यु पश्चात् तैयार किया है। कानूनन 5/– के स्टाम्प पर की गयी लिखा पढी साक्ष्य में ग्राहण नही है। न ही इस फर्जी लिखावट के माध्यम से कोई अधिकार प्राप्त कर सकतें है। विवादग्रस्त उक्त आराजी अप्रार्थीगण एवं उनके पिता भेरिया का गत् 55 वर्षो से भी अधिक समय से शांतिपूर्वक स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है तथा इस भूमि को समय धन श्रम लगाकर अप्रार्थीगण ने काबिल काश्त बनाया है असिचित को सिचित किया है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को भी है। प्रार्थीगण में से प्रार्थीया संख्या 1 ग्राम मुसई गुजरान तहसील अटरू एवं प्रार्थीया संख्या 2 ग्राम बोकडा तहसील अटरू में निवास करती चली आ रही है। प्रार्थीगण आज तक उक्त आराजी में स्वंय ने यां पांति मुनाफे से काश्त नही किया है। चुंकि विवादित आराजी वर्षो पूर्व से अप्रार्थीगण एवं उनके पिता/पति भेरिया का बतौर स्वामित्व एवं खातेदारी के निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण मिथ्या एवं मन गढत तथ्यों को आधार बनाकर उक्त आराजी में बिना किसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के कारण के बिना किसी खातेदारी व कब्जे के बिना किसी वाद विवाद झगडे के उक्त रिसीवरी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हे जो कानुनी रूप से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। चुंकि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट माननीय RAA साब कोटा द्वारा दिनांक 20.11.2017 को निरस्त कर दिया गया है ऐसी स्थिति में पुन उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही है। प्राईमा फैसाई क्षति तीनो ही महत्वपूर्ण बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान हे इस कारण भी प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है प्रार्थीयागण अपने हिस्से की आराजी अपने भाई भेंरिया को पांती मुनाफे से काश्त करवाती थी भेरिया का स्वर्गवास हो गया है। भेरिया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

स्वर्गवास होने के बाद भेरिया के वारिसान द्वारा कब्जा काश्त करने से मना कर दिया तथा सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी प्रार्थीयागण के पिता का दत्तक पुत्र व प्रार्थीयागण का भाई होने के कारण विश्वास कर लिया। अप्रार्थीगण के पिता ने विवाद गस्त आराजी का नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 13.08.1963 अपने नाम दर्ज करवा लिया जबकि सेवा की वैध वारिस प्रार्थीगण थी। अप्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण का नाम नामान्तरण में दर्ज नही करवाया। सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डला द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता भेरिया के मध्य राजीनामा दिनांक 17.07.1999 को करवा दियाा भूमि खसरा नम्बर 263 रकबा 10.09 बीघा भूमि को प्रार्थीगण की मां केसर बाई को दी थी मां के मरने के बाद 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का होगा इस आशय का राजीनामा करवा दिया। प्रार्थीगण को भूमि पर कब्जा करने से मना कर दिया। प्रार्थीगण नामान्तरण संख्या 40 ममें प्रार्थीगण वैध वारिस व उत्तराधिकारी होने से अपना नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है अप्रार्थीगण उक्त भूमि को दान रहन बेचान करने पर आमादा है विवादित भूमि पर थानाधिकारी कवाई को नियुक्त किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम शेखापुर तहसील छबडा में स्थित है भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के शान्ति पूण कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है उक्त आराजी फोती नामान्तरण से अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज हुई। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण एवं उनकी माता केसरबाई को थी। नामान्तरण संख्या 40 की अपील प्रार्थीगण एवं उनकी माता ने माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर महोदय बारां में पेश की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2022 को अपील खारिज की गई। गत 55 वर्षो से प्रार्थीगण एवं उनकी माता केसरबाई ने कोई कार्यवाही नही की प्रार्थीगण ने 5/– के स्टम्प पर राजीनामा दिनांक 17.07.1999 को होना बताया है वह फर्जी एवं बनावटी है यदि ऐसा कोई राजीनामा होता तो प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर महोदय बारां में पेश क्यो नही किया। प्रार्थीगण ने भेरिया के जीवनकाल में वाद क्यो नही पेश किया प्रार्थीगण द्वारा भेरिया की मृत्यु के वाद 5/– के स्टाम्प पर राजीनामा तैयार किया है जो साक्ष्य में ग्रध्य नही है विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण एवं उनके पिता भेरिया का 55 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीया का कभी भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा और ना ही कभी पांती मुनाफे से काश्त करवाई प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तरण संख्या 40 दिनांक 13.04.1963 के अनुसार खातेदार सेवा बेटा रघुनाथ जाति चमार के फोत होने पर सुलवी लडका भेरिया के नाम दर्ज किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम शेखापुर सम्वत् 2068–71 खाता संख्या 113 के अनुसार भेरिया पुत्र सेवा जाति मेघवाल के नाम दर्ज है नकल नामान्तण संख्या 664 दिनांक 04.02.2016 के अनुसार भेरिया का फोती नामान्तरण उनके वारिसान घनश्याम राधेश्याम प्रेमलाल पुत्र व हीराबाई पत्नि स्व0 भेरिया के नाम दर्ज किया गया। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2068–71 के अनुसार भेरिया का कब्जा काश्त होना दर्ज है। मृतक सेवा का फोती नामान्तरण भेरिया के पक्ष में खोला गया तथा भेरिया की मृत्यु के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उसके वारिसान के नाम गवाहन के समक्ष नामान्तण तस्दीक किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है। यद्यपि प्रार्थिया के हक/अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाएगा तथापि इस स्तर पर कब्जे मे छेडछाड कर विवादित आराजी को रिसीवरी करना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) आरटीए खारिज किये जाने योग्य है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)